हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले

राज्य स्तरीय विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड

की

प्रथम बैठक

हेतु

कार्यवाही

दिनांकः— 10 फरवरी, 2016

समय :— दोपहर 12:00 बजे

स्थानः— अर्मजडेल समेलन कक्ष सचिवालय, शिमला—2

हिमाचल प्रदेश विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक जो दिनांक 10 फरवरी 2016, को दोपहर 12:00 बजे, सम्मेलन कक्ष, हि0 प्र0 सचिवालय शिमला में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई की कार्यवाही।

बैठक में भाग लेने वाले सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की सूची **अनुबन्ध "क "** पर संलग्न है।

सर्व प्रथम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0) हि0 प्र0 ने माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एवं अध्यक्ष विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। तदोपरान्त माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री महोदय द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया गया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय का अलग से विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड का गठन करने के लिए धन्यवाद किया तथा अपनी व्यस्तता के बावजूद बैठक निर्धारित करने तथा अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस बैठक में पधारने पर हार्दिक अभिनन्दन किया। उन्होने बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस बैठक में अपने समुदाय की विशेष समस्याओं को उजागर करते हुए उनके विकास एवं उत्थान के लिये अपने सुझावों एवं विचारों से अवगत करवायें ताकि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के कुशल नेतृत्व व मार्ग–दर्शन में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

इसके पश्चात माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी मन्त्रीगण, समस्त सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों का इस बैठक में पधारने पर हार्दिक अभिनन्दन किया उन्होंने कहा कि सरकार का अलग से विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में इस समुदाय की समस्याओं पर विचार करके उनका समाधान करना है। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि प्रदेश का सन्तुलित एवं समग्र विकास तभी सम्भव हो सकता है, जब प्रदेश में सभी समुदायों तथा क्षेत्रों का सम्पूर्ण और सन्तुलित विकास हो। माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने यह भी बताया कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी की बुनियादी जरूरतें पूरी हों और सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के बेहतर और समान अवसर मिल सकें। सभी समुदायों एवं वर्गों के कल्याण और विकास की भावना सदैव सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। इसके उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई तथा बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा हुई:–

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें:

1. **रिक्त पदों को भरने में सरकार द्वारा आरक्षण का न लगाना।**

   कुछ समय से सरकारी क्षेत्र में रिक्त पदों के भरने के लिए अपनाई गई नीति में आमूल परिवर्तन आने के कारण आरक्षण व्यवस्था प्रायः समाप्त हो गई है और विश्वकर्मी समाज आरक्षण से वंचित हो रहा है। अतः सभी भर्ती करने वाली Agencies को निर्देश दिए जाएं कि Roster पंजीका रखी जाये और आरक्षण नीति का कठोरता से पालन हो ।

   (एन0 आर0 पाठक, मण्डी)

अतिरिक्त मुख्यसचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा अवगत करवाया गया कि कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचनानुसार राज्य सेवाओं में जातिगत आधार पर आरक्षण प्रदान करने बारे कोई प्रावधान नहीं है यद्यपि जो विश्वकर्मी समाज अन्य पिछड़ा वर्ग/ अनुसुचित जाति में शामिल है तो वह उन्हीं मापदण्डों की पृधि में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों में उस आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

राज्य सरकार ने सेवाओं में पोस्ट बेस्ड रोस्टर प्रणाली को अपनाया है जिसके अर्न्तगत सभी आरक्षित वर्गों के लिए रोस्टर बिन्दू निर्धारित किए है जिसके दृष्टिगत सभी आरक्षित वर्गों को हर संवर्ग में आबंटित किए गए रोस्टर बिन्दुओं के अनुरूप समुचित प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। इस बारे सरकार ने सभी विभागों को कार्मिक विभाग के पत्र संख्या PER(AP)-C-B(12)-1/98, दिनांक 20–08–1998 द्वारा आदेश जारी कर रखे हैं।

इसके अतिरिक्त अनुबन्ध/संविदा के आधार पर भरे जाने वाले पदों में भी रोस्टर प्रणाली को लागू किया गया है। जिस बारे प्रदेश सरकार ने कार्मिक विभाग के पत्र संख्याः PER(AP)-C-B(12)-3/2002 दिनांक 06–09–2004 द्वारा निर्देश जारी किए हैं।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

2. The employment percentage of our people is very meager. It must be improved and employment to our youths be provided. Coaching centers to prepare for the competitions and tests be managed at suitable places.
(बी0 आर0 कौण्डल, मण्डी)

As per the information received from Department of Personnel, there is no provision for caste based reservation in the services of the State. However Vishwakarma class/community is included in the other backward classes/ Scheduled Castes, who are enjoying /availing the benefit of reservation in direct recruitment provided to the Other Backward Classes. Providing of coaching to the incumbents of reserved categories does not fall in the purview of the Department of Personnel.

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बन्धित मदें:

3. Access to H.P. Secretariat by members of the Board at any time during working hours and concession to stay in Govt. Guest houses and different Rest houses in the State for the purpose of organization be permitted.
(बी0आर कौण्डल, मण्डी)

बैठक में मद पर चर्चा के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मामला सरकार के विचाराधीन जिस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाऐगा। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

4. भगवान विश्वकर्मा जी के जयन्ती दिवस 17 सितम्बर को राष्ट्रीय श्रम दिवस घोषित किया गया है लेकिन इस दिन को सार्वजनिक अवकाश नहीं होता है। अतः 17 सितम्बर को हर वर्ष राष्ट्रीय अवकाश किया जाना चाहिए।
(खीवन राम, मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार 17 सितम्बर को राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर न तो भारत सरकार द्वारा और न ही अन्य राज्य सरकारों द्वारा अवकाश का प्रावधान किया गया है। अतः इस दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग स्वीकार्य नहीं है। जहां तक उपरोक्त अवसर पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग है तो इस पर आवश्यक कार्यवाही भारत सरकार द्वारा आपेक्षित है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

राजस्व, लोक निर्माण विभाग सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य/शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें:

5. विश्वकर्मी समुदाय के विकासोन्मुख हेतु उन्हें समस्त बुनियादी सुविधाएं क्रमशः भूमिहीन/आवासहीन परिवारों को नौतोड़ व आवासीय सुविधा प्रदान की जाए। बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं क्रमशः सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि उपलब्ध करवाई जाए।

(हीरा मणी भारद्वाज, मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा बैठक में अवगत करवाया गया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार जहां तक बस्तियों की सड़क सुविधा का प्रश्न है इसके लिए भूमि की उपलब्धता और बजट का प्रावधान अनिवार्य है। जैसे ही भूमि और बजट का प्रावधान हो जाता है विभाग तत्परता से सड़क निर्माण का कार्य आरम्भ कर देता है। अतिरिक्त मुख्य सचिव(शिक्षा) ने सुनिश्चित किया कि यदि तलैहण ग्राम पंचायत बिन्दला करसोग पाठशाला हेतु सर्वेक्षण कर यदि ठीक पाया जाता है तो कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने अवगत करवाया कि आवासहीन परिवारों को आवास सुविधा तथा अतिक्रमण पर बने ऐसे आवासों को नियमित करने हेतु एक मुश्त राहत दिए जाने के लिए नीति बनाने का मामला सरकार के विचाराधीन है तथा इस बारे माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश शिमला में न्यायाधीन है। दिशा निर्देशों उपरान्त कार्यवाही की जाऐगी।

अतः विस्तृत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें:

6. भंगरोटू (तह0 बल्ह) के अर्न्तगत गांव हमेली (माण्डल) वाया चौगान से लुनापानी सड़क जिसकी राशि PWD द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है, परन्तु कुछ काम करने के बाद अगला काम नहीं किया जा रहा है, जिसे यथा शीघ्र चालू करवाकर पूर्ण किया जाए । इस सड़क की सुविधा अधिकतर विश्वकर्मी (SC)गांव हवेली (माण्डल) के परिवारों को होगी।

(एन0 आर0 चौहान,मण्डी)

उक्त मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने सूचित किया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस सड़क का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसमें आर0डी0 0/240 पर पाईप कलवर्ट का कार्य चला है परन्तु आर0 डी 0/530 किलो मीटर से 0/830 किलो

मीटर तक कुछ स्थानीय लोग काम में बाधा डाल रहे है। जिसके लिए पंचायत प्रधान भंगरोटू तथा कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों के माध्यम से मामले को सुलझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु अभी तक निजी भूमि मालिक गिफ्ट डीड के लिए नहीं मान रहे हैं।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय गैर सरकारी सदस्यों को गिफ्ट डीड बारे आवश्यक कार्यवाही करने को कहा ताकि बन्द पडे कार्य को चालू किया जा सके। **तदोपरान्त विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित मदें:

7. भंगरोटू (तह0 बल्ह) के अर्न्तगत गांव हमेली (माण्डल) अनुसूचित जाति (विश्वकर्मी) गांव को पानी की सुविधा जिसके अत्याधिक बन्द रहने के कारण परेशानी रहती है उसे हर हाल में नियमित रूप से चालू रखने के आदेश अधिशासी अभियन्ता, बग्गी, जिला मण्डी को दिए जाऐं।

(एन0 आर0 चौहान,मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा अवगत करवाया गया कि अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य वृत सुन्दरनगर ने सूचित किया है कि यह मांग गांव माण्डल हमेली की है। इस गांव में पेयजल बारे किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज/प्राप्त नहीं हुई है और न ही कभी मौखिक/दूरभाष द्वारा शिकायत मिली है। अतः वर्तमान में गांव माण्डल–हमेली में अनुसूचित जाति (विश्वकर्मी) बस्ती को पेयजल सुविधा नियमित व सुचारू रूप से उपलब्ध करवाई जा रही है। परन्तु कभी–कभार बिजली की आपूर्ति बाधित होने के कारण पेयजल की आपूर्ति में बाधा आ जाती है।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) द्वारा अवगत करवाया गया कि मामले में पुनः छानबीन कर ली जायेगी यदि पाईप लाईन बदलने की आवश्यकता होगी तो बदल देंगें। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदें:

8. Correction of sub-caste in the revenue records of the Vishwakrmi families of Tattapani and Randoul village whose sub-caste has wrongly been recorded during updation of revenue records as "Dumna instead of their actual Sub cast of "Lohar" despite the fact that the parents of the village of these families have been issued certificates on the basis of their actual sub-caste of "Lohar". As per Panchayat Pariwar Register of Gram Panchayat of these villages, the sub-caste of these families has correctly been recorded as "Lohar". This is not only the representation of two different sub-castes of the members of such families by two departments of the same State Government but has placed some of the families in very awkward Position. To cite an example, some family members originally residing in a joint family at village Tattapani but settled subsequently at another surrounding village, the sub-caste of these family members has rightly members of that particular joint family the sub-caste of these family members has rightly been recorded as "Lohar" in that Muhal in the same

revenue circle whereas in the case of the remaining members of that particular joint family the sub-caste has been recorded as "Dumna" thus representing two separate sub-castes for the same original family in the same revenue circle.

(तारा चन्द चौहान शिमला /हीरा मणी भारद्वाज, मण्डी)

बैठक में मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने अवगत करवाया कि माननीय गैर सरकारी सदस्य इस मसामले में अपना अभ्यावेदन /आवेदन पत्र उपायुक्त मण्डी को प्रस्तुत कर दें, राजस्व अभिलेख में उप जाति को ठीक कर दिया जाएगा।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

9. **Our People who own less than five bighas of land in rural areas and are using Govt. land adjoining their piece of land may very kindly be regularized liberally in their favour. It will be a great act of benevolence in the part of the Govt.**

(बी0 आर कौण्डल, मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा सूचित किया गया कि राजस्व विभाग से प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश सरकार द्वारा अवैध कब्जों के नियमितीकरण के लिए नीति बनाई गई है जो कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश शिमला में न्यायाधीन है।

उक्त के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने अवगत करवाया कि उच्च न्यायालय से स्टे है जिस पर निर्णय नहीं लिया जा सकता छोटे किसानों/ निर्धनों को राहत देने पर विचार किया जा रहा है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

10. **"Nautor Land" be allotted to our people and the Nautor Land already allotted to the people are still deprived of the possession of the land particularly in Dinak/Dugrain villages of Tehsil Sunder Nagar, Distt.-Mandi (H.P.). Their possession of land be assured.**

(बी0 आर कौण्डल, मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अवगत करवाया कि राजस्व विभाग से प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश के भूमिहीन एवं जरूरतमन्द लोंगों के कल्याण हेतु सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा तथा शहरी क्षेत्र में दो बिस्वा भूमि आवंटन की नीति उनके विभाग के पत्र संख्याः रैव0 बी.एफ.(1) 1/2006–1, दिनांक 22 जनवरी 2014 द्वारा जारी कर दी गई है। पात्र प्रार्थी भू–आवंटन के लिए सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालय में आवेदन कर सकता है।

बैठक में चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने सभी जिलाधीशों को मामले में सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों अनुसार कार्यवाही करने के अतिरिक्त यह भी निर्देश दिए कि पुरानी नोतोड में जमाबन्दी में मलकियत दशाई जाए।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

11. **अनुसूचित जाति, प्रमाण–पत्र में उपजाति का न लिखा जाना।**

विश्वकर्मी–विकास–सभा अनुसूचित जातियों की लगभग 24% उप जातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें कुछ उप–जातियों के नाम इतने घृणित व तिरस्कृत समझे जाते हैं कि गाली के रूप में प्रायः

प्रयोग होते हैं। परिणाम स्वरूप व्यक्ति के मन में हीन भावना का संचार होना स्वभाविक ही है। प्रमाण–पत्र में ''अनुसूचित जाति '' का लिखा जाना ही पर्याप्त होगा, उपजाति का लिखा जाना न आवश्यक है और न ही तर्क संगत।

(एन0 आर0 पाठक,मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने अवगत करवाया कि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार 56 जातियॉं अनुसूचित जाति में सम्मलित है जिन मे से 14 विश्वकर्मी का घटक है जहां तक उप जाति का दर्ज न करने का प्रश्न है इस बारे में परीक्षण करके उचित निर्णय लेकर उपायुक्तों को निर्देश दे दिए जाऐंगे। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

12. पंचायत रिकार्ड और राजस्व रिकार्ड के मुताबिक विश्वकर्मी समाज से सम्बन्धित कुछ जातियां अलग–अलग प्रकार से दर्शाई गई है । इनका पूरा विश्लेषण करते हुए इन्हे सही तरीके से दर्ज करवाया जाना चाहिए।

(खीवन राम,मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने कहा है कि माननीय गैर सरकारी सदस्य सम्बन्धित उपायुक्त को आवेदन प्रस्तुत करें। ममाले का परीक्षण करके उचित निर्णय लेकर उपायुक्तों को निर्देश दे दिए जाऐंगे। **अतः मद को चर्चा के दृष्टिगत समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

13. विश्वकर्मी समुदाय में दर्शाई गई उप जातियों का भिन्न–भिन्न नामकरण के बजाय नवीनतम/एकल नामकरण "विश्वकर्मी" उपजाति रखा जाए।

(हीरा मणी भारद्वाज,मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने कहा है कि यह सम्भव नहीं है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग से सम्बन्धित मदें:

14. महिला–मण्डल अप्पर कलोट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी को अतिरिक्त कमरा–निर्माण हेतु डेढ़ लाख रू0 की स्वीकृति बारे।

महिला –मण्डल अप्पर कलोट के लिए कमरे का निर्माण स्थानीय जनता के योगदान से हुआ था। परन्तु कमरा सामान से भरा होने के कारण बैठक प्रायः बाहर की जाती हैं। अतः निवेदन है कि वर्तमान कमरे के ऊपर अतिरिक्त कमरा निर्माण के लिए डेढ़ लाख रू0 की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(एन0 आर0 पाठक, मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचनानुसार महिला–मण्डल अप्पर कलोट, तहसील सरकाघाट,जिला मण्डी को अतिरिक्त कमरा–निर्माण हेतु मु0 1.50 लाख रूपये की स्वीकृति हेतु विभागीय टिप्पणी आगामी कार्यवाही हेतु भेजी गई है। इस संदर्भ में प्रस्तुत है कि विभाग द्वारा केंन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों जैसे कि इन्दिरा आवास योजना, एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, निर्मल भारत अभियान इत्यादि के अर्न्तगत राज्य हिस्से की अदायगी तथा राज्य योजनाए जैसे राजीव आवास योजना, राज्य प्रोत्साहन योजना, विभाग के अधीनस्त कार्यरत कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण/ रख रखाव तथा कार्यालय भवनों के निर्माण/ रख रखाव हेतु धनराशि का आवंटन किया जाता है। विभागीय बजट पुस्तिका अनुसार भी महिला मण्डल भवनों के निर्माण हेतु अलग से धनराशि का प्रावधान नहीं है।

बैठक में मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए कि यदि ग्रामीण विकास विभाग में धनराशि का प्रावधान नहीं है तो **उपायुक्त मण्डी धनराशि स्वीकृत करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाऐं। तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित मदें:

15. श्रीमती सुनीता पत्नी श्री देवी राम अनुसूचित जाति (विश्वकर्मी)निवासी स्यां,डा0 लोहारा, तह0 बल्ह, जिला मण्डी की दोनों किडनियां काम नहीं कर रही हैं, का इलाज फ्री करवाया जाए। पिछले खर्च को भी रिफण्ड किया जाए क्योंकि यह बहुत गरीब परिवार से है।

(एन0 आर0 चौहान,मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हि0 प्र0 द्वारा अवगत करवाया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार मामला मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। अतः सुझाव दिया गया है कि श्रीमती सुनीता देवी पत्नी श्री देवीराम अपने इलाज के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डी से सम्पर्क करें।

बैठक में मद पर चर्चा के दौरान विभाग द्वारा अवगत करवाया कि श्रीमती सुनीता देवी का इलाज शुरू कर दिया गया है तथा दवाईयाँ/ इलाज निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

हिमाचल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से सम्बन्धित मदें:

16. जिला हमीरपुर में फ्लैहड़ा उपजाति को उसके अनुसूचित जाति का दर्जा मिलने तक OBC में लिया जाए।

जिला हमीरपुर में फ्लैहड़ा उप–जाति को राजस्व विभाग द्वारा अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र नहीं मिल रहा है क्योंकि प्रदेश द्वारा जारी वर्ष 1977 की अधिसूचना में उपजाति फ्रैहरा वर्णित है। अतः फलैहड़ा उपजाति को OBC में लिया जाए। **(एन0 आर0 पाठक,मण्डी)**

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा अवगत करवाया कि हि0 प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त सुचनानुसार जिला हमीरपुर से फलैहडा उपजाति का कोई भी अभ्यावेदन इस आयोग में प्राप्त नहीं हुआ है। जिस पर गौर किया जा सके। जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि मामला आयोग को स्थानान्तरित किया जाए, जिस पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने कहा कि उपायुक्त हमीरपुर द्वारा मामला तैयार कर हि0 प्र0 अन्य पिछड़ा आयोग को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

17. मझाडा/मझाड व फरेरा उप–जातियों को भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए।

(हीरा मणी भारद्वाज,मण्डी)

विभागीय उत्तरः–

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा अवगत करवाया कि हि0 प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से प्राप्त सुचनानुसार मझाडा जाति को हिमाचल प्रदेश द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची मे शामिल कर दिया गया है।

जहां तक मझाड़ व फरेरा उपजाति का प्रश्न है, अभी तक इन उप जातियों से कोई भी अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है तथा जहां तक इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने का प्रश्न है यह कार्य इस आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। **उक्त के दृष्टिगत (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने माननीय सदस्य को कहा कि वह आपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें ताकि मामले में आगामी कार्यवाही हेतु भारत सरकार को भेजा जा सके**

हिम ऊर्जा से सम्बन्धित मदें:

18. Providing of Solar Energy light in the villages thickly populated by Vishwakarmi population.

(Tara Chand Chauhan, Shimla)

HIMURJA ia getting funds from State Government under Scheduled Castes Sub Plan for installation of SPV Street Lights in SCs concentrated villages for the benefit of SC community only. These street lights are installed with the consent of Hon'ble MLA of the concerned constituency.

SPV Street Lights are also installed under National Solar Mission of Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) Government of India, under which 90% subsidy is available. For which Panchayats are required to submit a resolution alongwith rough sketch of the sites where SPV Street Lights are required to be installed. Remaining 10%

beneficiary share alongwith 5% administrative charges of HIMURJA are to be borne by the respective Panchayat/Government. Beneficiary share for each SPV street light (LED) will be Rs 2234/-.

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

विद्युत परिषद हिमाचल प्रदेश शिमला–4 से सम्बन्धित मदें:

19. Allotment of plots to the Oustees of the Kol Dam Hydel project in the Rehabilitation & Resettlement Colony at Suni to such left out families of Vishwakrmi Samaj of Muhal Tattapani, Randoul and Thalli who have been displaced/ousted due to acquisition of their land and houses for the construction of Kol Dam power project but have not been allotted plots yet despite raising the matter at various levels.
(Tara Chand Chauhan, Shimla)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व) ने अवगत करवाया कि सभी को allotment की जा रही है यदि किसी को नहीं हुई है तो कार्यवाही की जाऐगी। जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मामले में छानबीन की जाए।

(विद्युत परिषद हिमाचल प्रदेश शिमला /राजस्व)

20. कोलबांध परियोजना द्वारा गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण किया जाना, जैसे थली पंचायत के अधीन गांव थली में खतरे के निशान के नीचे की भूमि /घराट इत्यादि को अधिग्रहण नहीं किया गया है और अब तो पानी का भराव कई जगह खतरे के निशान तक पंहुच चुका है और अगर अगस्त 2000 की तरह पानी एक दम से बढ़ जाये तो पता ही नहीं कि पानी का भराव कहां तक जाएगा। अतः कोलबांध परियोजना द्वारा दोबारा सर्वे किया जाना चाहिए।

(खीवन राम,मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरक्त मुख्य सचिव (MPP&Power) द्वारा अवगत करवाया गया कि यह मामला राजस्व विभाग से सम्बन्धित है। जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उपायुक्त शिमला व मण्डी को निर्देश दिए कि वह मामले में छानबीन करें व सम्बन्धित सूचना राजस्व को प्रस्तुत करें।

(राजस्व /उपायुक्त शिमला व मण्डी)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विकास निगम से सम्बन्धित मदें:

21. लोहे के औजार बनाने के लिए लघु कारखानों की स्थापना हेतु उचित/पर्याप्त ब्याज मुक्त ऋण सुविधा प्रदान की जाए। पारम्पारिक वाद्य यंत्रो मूर्ति निर्माण (मोहरे) व पत्थरों को कलाकाष्ठ/धातु व शिल्पकारों, दस्तकारों तथा बांस के बर्तन बनाने वालों इत्यादि के लिए भी ब्याज मुक्त ऋण सुविधा दी जानी चाहिए तथा उनके उत्थान के लिए नए बाजार की व्यवसायिक व्यवस्था का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिए।

(हीरा मणी भरद्वाज,मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति विकास निगम द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रह–रहे समस्त पात्र अनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति परिवारों को रोजगार स्थापित करने के लिए 50,000/– रूपये तक की परियोजनाओं में जिसमें 10,000/– रूपये तक की राशि सबसीडी के रूप में प्रदान की जाती है, कुल ऋण 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से साधारण शर्तो पर उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (NSFDC) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (NSTFDC) के सौजन्य से 5.00 लाख रूपये तक का ऋण केवल 6 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा इससे अधिक के ऋण मात्र 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध करवाए जाते है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

22. हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा लाभार्थियों को दिए गए ऋण भुगतान को (वन टाईम सेटलमेंट आधार) पर ऋण माफ किया जाना चाहिए।

(हीरा मणी भरद्वाज,मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा वितरित ऋण को One time settlement(OTS) के आधार पर माफ करने सम्बन्धी मामला प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रदेश सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि मामले में पुर्नविचार किया जाए मामला तैयार कर पुनः प्रस्तुत करें क्योंकि इस तरह का लाभ सभी समुदायों को मिलना चाहिए।

(हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम)

महिला विकास निगम से सम्बन्धित मदें:

23. विश्वकर्मी समाज से जुड़े/ सम्बद्ध रखने वाली महिलाओं व व्यक्तियों को स्वयं रोजगार चलाने हेतु राष्ट्रीय कृत बैंको से कम से कम 10 लाख रूपये कर्ज 4 प्रतिशत ब्याज दर पर तथा इसके अतिरिक्त अनुदान 50 प्रतिशत होना चाहिए ताकि इस समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके।

(केशव राम कौन्डल)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) द्वारा अवगत करवाया कि हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम द्वारा किसी विशेष जाति वर्ग की महिलाओं तथा व्यक्तियों को स्वरोजगार चलाने हेतु राष्ट्रीकृत बैकों से ऋण उपलब्ध नही करवाये जाते है। इस निगम द्वारा प्रदेश की सभी महिलाएं जो अपना व्यवसाय करना चाहती है, को स्वरोजगार चलाने हेतु 1.00 लाख रू0 तक के ऋण राष्ट्रीयकृत बैंको क माध्यम से उपलब्ध करवाये जाते है।

जिसकी ब्याज दर निम्न अनुसार हैः–

30,000/–रू0 तक	4 प्रतिशत
30,000/–रू0 से अधिक 50,000/–रू0 तक	5 प्रतिशत

तथा 50,000/–रू0 से 100000/–रू0 तक 6 प्रतिशत

ऋण पर बैंक ब्याज दर को कम करने के लिए निगम महिलाओं को ब्याज उपदान देता है। ब्याज उपदान की भरपाई हेतु सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। सहायता अनुदान की राशि सरकार से बहुत ही कम प्राप्त हो रही है। विश्वकर्मा समाज से जुड़े/सम्बद्ध रखने वाली महिलाओं व व्यक्तियों को स्वयं रोजगार चलाने हेतु राष्ट्रीय कृत बैकों से कम से कम 10 लाख रूपये कर्ज 4 प्रतिशत ब्याज दर पर के अतिरिक्त अनुदान 50 प्रतिशत होने पर निगम द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के नियमों में संशोधन करना पड़ेगा तथा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सहायतानुदान तथा ब्याज अनुदान के रूप में अधिक से अधिक राशि निगम को उपलब्ध करवानी पड़ेगी। क्योंकि निगम के पास अपना ऐसा कोई संसाधन नहीं है जिस से ऋण सीमा बढ़ाई जाए व 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा सके।

उक्त के दृष्टिगत अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सदस्यों को अवगत करवाया कि इस समुदाय के जो व्यक्ति अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मलित है व जिनकी वार्षिक आय 89,000 ग्रामीण क्षेत्र में व 1,20,000/– रूपये शहरी क्षेत्र में हो उन्हें हि0 प्र0 पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम मु0 50,000/– रूपये से 5.00 रूपये तक 6 प्रतिशत तथा इससे अधिक 8 प्रतिशत ब्याज दर पर विभिन्न व्यवसायिक परियोजनाओं हेतु तथा गरीबी रेखा से नीचे रह रही महिलाओं को स्वर्णिमा योजना के तहत स्वम् रोजगार हेतु 5 प्रतिशत की दर से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है इसके अतिरिक्त समुदाय के ऐसे छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु 75,000/– रूप्ये व्याज मुक्त ऋण व तकनीकी व्यवसायिक शिक्षा हेतु 5.00 लाख रूपये तक के ऋण 4 प्रतिशत दर से लडकों को एवं 3.50 प्रतिशत दर से लडकियों को उपलब्ध करवाए जाने का भी प्राधान है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा उपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

हथकरघा व हस्तशिल्प निगम से सम्बन्धित मदें:

24. मार्बल तथा टाइलें लगाने आदि के कार्य में हिमाचली कारीगरों को प्रशिक्षण देना।

गृह निर्माण के कार्य में विशेषकर मार्बल का काम ,टाईलें लगाना तथा POP के डिज़ाईन बनाने में हिमाचल के कारीगरों की अपेक्षा बाहर के कारीगर अधिक दक्ष है और प्रदेश की करोड़ों की राशि बाहर जा रही है। अच्छा होगा यदि हिमाचली शिल्पकारों को उक्त कार्यों में प्रशिक्षण मिलें और प्रशिक्षण समाप्ति पर सम्बन्धित कारीगरों को मुफ्त या अनुदान देकर मशीनें प्रदान की जाए। **(एन0 आर0 पाठक,मण्डी)**

मद पर चर्चा के दौरान **सूचित किया कि** REBT(Rural Engineering Based Training) Programme के अर्तगत इस प्रकार के प्रशिक्षण करवाए जा सकते हैं। मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उक्त सुझाव की सराहना करते हुए कहा कि इस पर विचार किया जा सकता है। **तदोपरान्त मद को समाप्त करनेका निर्णय लिया गया।**

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मदें:

25. Grant of pension to the widow's old age handicapped and single living divorced woman of Vishwakarmi families who have no source of livelihood/ income.
(तारा चन्द चौहान, शिमला)

26. बेसहारा, परितक्तया/ विधवाओं व अपंगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन व रोजगार में प्राथमिकता दी जाएं।

(हीरा मणी भारद्वाज, मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश में प्रदान की जा रही सामाजिक सुरक्षा पैन्शन योजना का मुख्य उद्देश्य हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी जो वृद्ध, अपंग, विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी तथा कुष्ठ रोगी है, को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पैंशन किसी जाति विशेष/वर्ग के आधार पर प्रदान नहीं की जाती है अपितु सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना के अंतर्गत हर वर्ग के पात्र व्यक्तियों को नियमानुसार वृद्धावस्था पैंशन, अपंग राहत भत्ता, विधवा/ परित्यक्ता/एकल नारी पैंशन तथा कुष्ठ रोगी राहत भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

27. Our leaders in Government in their speeches often stress to maintain our cultural heritage. There are practices observed in our customs, traditions, rituals and rites i.e. part of culture. Such is the social stigma a blot of untouchability. To win the favour of our people the leaders in the Govt. in their public speeches should condemn this practice. It will prove an instrument to annihilate untouchability.

(बी0आर कौण्डल, मण्डी)

बैठक में चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता) द्वारा सूचित किया गया कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गो पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (Protection of Civil Rights Act 1955) तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) Scheduled Cast & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act1989 को देश के अन्य राज्यों की भान्ति इस राज्य में भी प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने वालों को दण्डित करना, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय राहत देकर उनका पुर्नवास करना तथा दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड देने का प्रावधान है ताकि समाज में समानता लाई जा सके।

मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गैर सरकारी सदस्य को अवगत करवाया कि इस बारे में दिशा–निर्देश जारी किए जा चुके है। वैसे तो अस्पृश्यता धीरे–धीरे समाप्त हो रही है फिर भी यदि कोई घटना ऐसी पाई जाए तो ध्यान में लाया जाए।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

28. जिन धिमानों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया है इन्हें निकाल कर अनुसूचित जाति नम्बर–2 की श्रेणी में रखा जाए क्योंकि इस धीमान जाति ने सारे हक जैसे नौकरी,सबसीडी इत्यादि बैनीफिट ले रखे हैं। अतः धीमान जाति स्वर्ण जाति के साथ खाते–पीते है। जो हरीजन अछूत है उनका पूरा फायदा धीमान ले रहे है।

(ख्याली राम ,मण्डी)

बैठक में चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता) ने अवगत करवाया कि जातियों का निर्धारण भारत सरकार स्तर पर गठित अनुसूचित जाति आयोग द्वारा किया जाता है। अतः इस संदर्भ में माननीय गैर सरकारी सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव अपने समुदाय के अन्य सदस्यों के विचारों तथा पूर्ण औचित्य सहित भिजवाऐं ताकि उसे प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार के विचारार्थ भेजा जा सके। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

29. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम में संशोधन किया जाना तथा इस अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करवाने तथा गैर एस0सी0 या एस0टी0 सरकारी कर्मियों के डयूटी में कोताही बरतने पर दण्डित करने पर विचार करना।

(खीवन राम, मण्डी)

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्गो पर होने वाले अत्याचारों को रोकने तथा उनके अधिकारों का संरक्षण करने के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 (Protection of Civil Rights Act 1955) तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) Scheduled Cast & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act1989 का मुख्य उदेश्य अस्पृश्यता का प्रचार और आचरण करने वालों को दण्डित करना, अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय राहत देकर उनका पुर्नवास करना तथा दोषी व्यक्तियों को उचित दण्ड देने का प्रावधान है ताकि समाज में समानता लाई जा सके।

इन अधिनियमों के कार्यान्वयन में पुलिस, अभियोजन, जिला प्रशासन के अधिकारियों का विशेष दायित्व है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) निवारण अधिनियम 1989 (Scheduled Cast & Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act1989 के अन्तर्गत दर्ज मामलों में जांच उप पुलिस अधिक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है तथा मुकदमें की पैरवी के लिए जिला एवं स़त्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों का दर्जा दिया गया है जिनमें सरकारी अधिवक्ता द्वारा इन मामलों की निःशुल्क पैरवी की जाती है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों की पैरवी ठीक प्रकार से हो तथा इन मुकदमों की जांच/सुनवाई के दौरान गवाह अत्याचार से पीड़ित व्यक्ति को सहयोग प्रदान करें जिससे दोषी व्यक्ति को सजा दिलवाई जा सके, इसके दृष्टिगत अत्याचार से पिड़ित व्यक्तियों उनके आश्रितों तथा गवाहों को पुलिस जांच तथा मुकदमों की सुनवाई के दौरान निर्वाह/यात्रा भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को मुफत कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है।

यदि माननीय गैर सरकारी सदस्य के पास उक्त अधिनियमों के प्रावधानों में संशोधन हेतु कोई सार्थक प्रस्ताव हो तो वे अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ विभाग को प्रस्तुत करें ताकि उस पर विचार किया जा सके। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

30. <u>विश्वकर्मी सभा जो लिखा है उसकी जगह विश्वकर्मा सभा लिखा जाना चाहिए।</u>

(हरमेश चन्द धीमान, ऊना)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अवगत करवाया कि सरकार की अधिसूचना संख्या SJE-B-A(4)-3/2014 दिनांक 04 मार्च 2014 द्वारा राज्य स्तरीय विश्वकर्मी समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। माननीय गैर–सरकारी सदस्य द्वारा जो सुझाव दिया गया है इस बारे बोर्ड की बैठक में चर्चा उपरांन्त निर्णय लिया जाना है।

उक्त मद पर विस्तृत चर्चा उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सूचित किया गया कि 'विश्वकर्मा' भगवान का नाम है तथा विश्वकर्मी ही उचित शब्द है। **तदोपरान्त मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

31. राज्य स्तरीय विश्वकर्मी समाज कल्याण बोर्ड की बैठक समय–समय पर आयोजित की जानी चाहिए ताकि इस समुदाय की समस्याओं के निदान हेतु सदस्यों द्वारा दिए गए <u>सुझावों पर विचार–विमर्श कर इस वर्ग के कल्याण हेतु योजना बनाई जा सके।</u>

(हंस राज धीमान,चम्बा)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अवगत करवाया कि माननीय गैर सरकारी सदस्य द्वारा दिए गए उक्त सुझाव के दृष्टिगत सरकार द्वारा यह बैठक निर्धारित की गई है। **अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।**

बैठक के अन्त में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता) हि0 प्र0 सरकार द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय, माननीय सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता मन्त्री, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार तथा सभी उपस्थित सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का बैठक में भाग लेने पर धन्यवाद किया गया।

******

अनुबन्ध–'क'

दिनांक 10 फरवरी 2016, को दोपहर 12:00 बजे, सम्मेलन कक्ष, हि0प्र0 सचिवालय शिमला में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़ की प्रथम बैठक में भाग लेने वाले सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की उपस्थितिः–

क्रमांक	नाम व पद	टेलीफोन/मोबाईल नम्बर	हस्ताक्षर
1.	श्री पी0 मित्रा मुख्य सचिव,हि0प्र0 सरकार		
2.	श्री अजय मितल, अतिरिक्त मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार		
3.	श्री विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार		
4.	श्रीमती उपमा चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हि0 प्र0 सरकार	9805299000	
5.	श्री तरूण श्रीधर, अतिक्ति मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार		
6.	श्री वी0सी फारका अतिक्ति मुख्य सचिव (हि0प्र0) सरकार		
7.	श्री पी0सी0 धीमान,अतिक्ति मुख्य सचिव (हि0प्र0) सरकार		
8.	श्री संजीव गुप्ता, अतिक्ति मुख्य सचिव (हि0प्र0) सरकार		
9.	श्री अकक्षय सूद विशेष सचिव, (वित्त) हि0प्र0 सरकार		
10.	श्री ओंकार शर्मा सचिव,(ग्रा0विकास पं0 राज/युवा खेल सेवाऐ शिमला–9		
11.	संदीप भटनागर, निदेशक (अनु0जाति0 अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक मामले हि0प्र0 शिमला–9		
12.	श्री संजीव भटनागर, विशेष सचिव, हिमाचल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग शिमला–9	9418083999	
13.	डा0 डी0एस0 गर्ग निदेशक,(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) हि0प्र0 शिमला–9		
14.	दिनेश बुराथोकी निदेशक, (उच्च शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–1	9459162782	
15.	डा0 एच0 एस0 बवेजा, प्रबन्ध निदेशक H.P.SAMB (हि0प्र0)		
16.	श्री ए0सी0 शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हस्तशिल्प एव हथकरधा निगम शिमला –9	9418033309	
17.	श्री विकास लाबरू,प्रबन्ध निदेशक हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित विकास निगम कांगड़ा	9418900032	
18.	श्री के0 आर0 सैहजल, उप सचिव,(लोक निर्माण) हि0प्र0	948475720	
19.	श्री धनश्याम चन्द राज्य परियोजना निदेशक (युवा खेल सेवाए) यु0 एस0 कल्ब शिमला–1	9418002410	
20.	श्री जितेन्द्र सांजटा अतिरिक्त निदेशक,(उद्योग) हि0प्र0 शिमला–1	9418904587	
21.	श्री बी0सी0 बडवालिया उपायुक्त, सिरमौर स्थित नाहन हि0प्र0	9418026165	
22.	एम0 संधारी,उपायुक्त चम्बा हि0प्र0	8894735555	
23.	श्री रीतेश चौहान, उपायुक्त कांगडा	8894840001	
24.	श्री संदीप कदम, उपायुक्त मण्डी हि0प्र0	9418039998	
25.	श्री डी0के0राहठौर,अतिरिक्त दण्डाधिकारी शिमला	9418560960	

26.	श्री संजय शर्मा अतिरिक्त उपायुक्त मण्डी	9418086486	
27.	श्री रूपाली ठाकुर अतिरिक्त उपायुक्त हमीरपुर	9816020021	
28.	डा0 चन्द्र शर्मा ,अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर	9418479677	
29.	श्री राजेश कुमार अतिरिक्त उपायुक्त ऊना	9418025342	
30.	श्री पंकज शर्मा सहायक आयुक्त उपायुक्त किन्नौर	9418885883	
31.	श्री ऐ0के0 अहुजा संयुक्त निदेशक,(तकनीकी शिक्षा) हिमाचल प्रदेश शिमला–9	9418009507	
32.	श्री रोबिन जोर्ज संयुक्त निदेशक(प्रशासन), अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9		
33.	श्री ए0सी0 चौहान,संयुक्त निदेशक(कल्याण), अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9		
34.	अजय वर्मा, सहायक नियन्त्रक,वित एवं लेखे) अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9		
35.	श्री रमेश गंगौतरी,उप निदेशक,खाद्यय आपूर्ति एवं उपभोगता मामले शिमला		
36.	श्री कृष्ण शर्मा, उप निदेशक(रोजगार) हि0प्र0 शिमला–1		
37.	श्री राजेन्द्र शर्मा, उप निदेशक, आयुर्वेदा		
38.	श्रीमती सुमन रावत, संयुक्त निदेशक,(खेल सेवाऐं) शिमला–1	9418461098	
39.	श्री सुरिन्द्र कुमार अवर सचिव (सामन्य प्रशासन)		
40.	श्री एम0 एल0 शर्मा,उप निदेशक,(अनु0जाति उप यो0)अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9		
41.	श्री आर0 एस0 गुलेरिया, उप निदेशक महिला एवं बाल विकास शिमला–1	9418014279	
42.	श्री ऐ0जे0 डोगरा, जिला कल्याण अधिकारी(मु0) अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9		
43.	श्री प्रताप सिंह नैगी,जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू प्रतिनिधि उपायुक्त कुल्लू	9418343667	
44.	श्री शिवान्द शर्मा, जिला महा प्रबन्धक, अनु0 जाति/जन जाति विकास निगम एवं हि0प्र0महिला विकास निगम सोलन जिला सोलन	9418465582	
45.	श्री भगत सिंह ठाकुर (ए0आई0जी0) टी0टी0आर0	9418085111	
46.	कवर भानू प्रताप सिंह, सी0ई0ओ0 हिम ऊर्जा शिमला–9	9416055513	
47.	श्री मनीश पंडित, प्रेस सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश	9418021112	
48.	इ0विजय,डोगरा,प्रमुख अभियन्नता(पी0 एण्ड एम0) हि0प्र0 राज्य विद्युत बोर्ड शिमला–4	9418055099	
49.	श्री नरेश शर्मा अनुसंधान अधिकारी, हिम ऊर्जा शिमला–9	9816068540	
50.	इ0 राकेश गुप्ता प्रमुख अभियन्ता (हि0प्र0 लो0नि0वि0) शिमला–2	0177–2621401	
51.	श्री अशोक चौहान प्रमुख अभियन्ता(हि0प्र0 लो0नि0वि0) शिमला–2	9418014973	
52	श्री सुरेश कुमार गंजू, मुख्य अभियन्ता (हि0प्र0 लो0नि0वि0) धर्मशाला जिला कांगड़ा	9418094909	

53.	श्री अजय गुप्ता अधिक्षण अभियन्ता(डब्लयु0) विद्युत शिमला	9418061404	
54	श्री आर0के0 कंवर मुख्य अभियन्ता (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य)शिमला–1	9418086559	
55.	श्री चजर सिंह, अधिक्षण अभियन्ता (कार्य) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता यु0एस0 कल्ब शिमला–1		
56.	श्री यश्वन्त सिंह,राहठौर,तहसीलदार जिला भू अभिलेख	9418021493	
57.	श्री धर्मो नन्द एस0एन0आर0 मंडी	9418202802	

गैर ससकारी सदस्यः–

क0 सं	**नाम व पद**	**क. सं.**	**नाम व पद**
1.	श्री हीरा मणी भरद्वाज, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	14.	श्री तारा चन्द चौहान, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़
2.	श्री एन0 आर0 पाठक, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	15.	श्री विजय कुमार, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़
3.	श्री रमेश चन्द, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	16.	श्री योगिन्द्र सिंह, किन्नौर,
4.	श्री बुद्धि सिंह रोहाल, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	17.	श्री ज्ञान प्रताप
5.	श्री पृथ्वी चन्द परिहार, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	18.	श्री पवन नेगी,
6.	श्री मदन सिंह हिमाचली, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	19.	श्री जय चन्द नेगी,
7.	श्री हेत राम कौण्डल, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	20.	श्री राज कुमार नेगी,
8.	श्री बहादुर सिंह, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	21.	श्री मंगल सिंह नेगी,
9.	श्री बी0आर0 कौण्डल, बल्ह मण्डी सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	22.	श्री देविन्द्र सिंह धीमान,
10.	श्री कुलदीप सिंह कम्बोज,सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	23,	श्री चन्दू राम प्रेमी,
11.	श्री रमेश चन्द, बिलासपुर सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	24.	श्री श्री बोद्ध राज पूर्व विधायक, इन्दौरा कांगडा
12.	श्री लेख राम धीमान, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	25.	श्री जय चन्द,कांगडा,
13.	मदन सिंह, सदस्य हि0प्र0 विश्वकर्मी कल्याण बोर्ड़	26	श्री भाग चन्द सोनी, कुल्लू

27.	श्री सीता राम पाठक,कुल्लू	45.	श्री के0 आर0 सिरीन्टा,
28.	श्री सवारू राम जोशी,	46.	श्री कश्मीरी लाल, धीमान बद्दी
29.	श्री डी0 आर0 चौहान,मण्डी	47.	एन0 आर0 चौहान, मण्डी
30.	श्री लीला दास कौण्डल, सून्नी	48.	श्री खीवन राम,सचिव,
31.	श्री प्रेम सिंह,	49.	श्री ख्यालू राम,
32	श्री हंस राज धीमान,	50.	श्री राम रतन प्रेमी,
33.	श्री चुन्नी लाल	51.	श्रीमती नीलम प्रेमी सिरमौर
34.	श्री केलाश चन्द धीमान,	52.	श्रीमती संगीता शिवाईक,
35.	श्री केसर सिंह	53.	श्री नरेश कुमार धीमान,
36,	श्री चमन लाल	54.	श्री आन्द सिंह, नैर चौक
37.	श्री पुरण चन्द,	55.	श्री राजेन्द्र मधान,
38.	श्री इन्द्रसिंह	56.	श्री धामा नन्द,मण्डी,
39.	श्री चमन लाल,	57.	श्री आर0 के0 कौण्डल,कुल्लू
40.	श्री हरमेश धीमान,	58.	श्री सुरेश भरद्वाज,
41.	श्री प्रेम लाल शान्डिल,	59.	श्री चमन लाल
42.	श्री प्रेम लाल धीमान,	60.	श्री वलभ राम,
43.	श्री रंजीत धीमान,	61	श्री महिन्द्र सिंह
44.	श्रीमती संजना नलवा		

संयुक्त निदेशक,
अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले,
हिमाचल प्रदेश शिमला–9